



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-24022026-270423  
CG-WB-E-24022026-270423

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 915]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 915]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 959(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (वर्ष 1989 का 24वां) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र में "बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन यार्ड में स्थित समपार संख्या -94 के बदले सड़क सह उपरगामी पुल का प्रस्तावित कार्य" रेलवे परियोजना को भूमि अधिग्रहण करने हेतु उड़ीसा राज्य के बालासोर जिला में ट्रेन एवं समपार को प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एवं लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एस ई आर/एच क्यू/आर एस डब्ल्यू/ओडिशा/330]

राजेश अग्रवाल, प्रधान मुख्य अभियंता

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South Eastern Railway)****NOTIFICATION**

Kolkata, the 23rd February, 2026

**S.O. 959(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies the Railway project namely **“Proposed construction of Road Over Bridge in lieu of manned level Crossing LC No: 94 in Bahanaga Bazar railway station Yard of Kharagpur Division”** under South Eastern Railway as Special Railway Project for acquisition of land in Balasore District in the state of Odisha, for eliminating the level crossings as a part of improving safety of Train/Road users and for providing national infrastructure for public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. SER/HQ/RSW/Odisha/330]

RAJESH AGARWAL, Principal Chief Engineer